(1) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

24/1/2020

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 57 (1) / एक-10-2020-33(221)/2011 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मण्डलायुक्त गोरखपुर, मण्डल गोरखपुर, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, देवरिया, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः 57/एक-10-2020-33(221)/2011

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊःदिनांकः 27 जनवरी,2020

विषयः- प्रचार-प्रसार हेतु जनपद देवरिया को रू0 10.00 लाख की धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9/OSD, दिनांक 27.12.2019, जिसके माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग मद में धनराशि रू0 10,00,000/- की मांग की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16.01.2020 से 27.01.2020 को जनपद देवरिया में जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी में आयोजित कार्यक्रम में आपदाओं से बचाव एवं इनके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु सम्यक विचारोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **धनराशि रू0** 10,00,000/- **(रूपये दस लाख मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

क्रम	प्रस्तावित गतिविधि/ कार्यक्रम	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	बाढ़ से बचाव हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संशाधनों के प्रयोग से जीवन रक्षक उपकरणों को तैयार किया जाना तथा प्रयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार।	2.00
2	अग्निकाण्ड, बेमौसम बरसात तथा पर्याप्त संरक्षण हेतु चित्रकला एवं स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजन।	2.00
3	जनपद में स्थापित एच0पी0सी0एल0, बी0पी0सी0एल0, आई0ओ0सी0एल0 प्लांट बैतालपुर तथा अन्य रासायनिक संयंत्रों में होने वाली घटनाओं/रिसाव से बचाव हेतु जनमानस को जागरूक किया जाना।	2.00
4	राजकीय जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी–2020 में आपदा न्यूनीकरण योजना का निर्माण व प्रस्तुतिकरण।	2.00
5	विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान क्या करें? क्या न करें? तथा राज्य आपदा मोचक निधि में दिये जाने वाले राहत राशि व सहयोग विषय पर प्रचार प्रसार सामग्री का निर्माण व वितरण।	2.00
योग		10.00
		(रूपये दस लाख मात्र)